

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : इम्यू./आर.आई.स्टे. (124)/2019/1281

दिनांक 27/03/2020

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान

विषय :- COVID-19 वायरस के संक्रमण की गंभीरता तथा देश में लॉक डाउन की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित होने वाले टीकाकरण सत्रों के आयोजन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि COVID-19 वायरस के संक्रमण की गंभीरता तथा देश में 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए अग्रिम आदेशों तक टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत टीकाकरण कार्य निम्नानुसार किया जावे-


- समस्त प्रकार के आउटरीच टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं किये जावे।
- सभी चिकित्सा संस्थान जंहा प्रसव हो रहे हैं तथा कोल्ड चैन पॉइन्ट है, वंहा पर नवजात शिशु को डिस्चार्ज करने से पूर्व सभी बर्थ डोज आवश्यक रूप से दी जावे।
- ऐसे चिकित्सा संस्थान जंहा कोल्ड चैन पॉइन्ट है, और टीकाकरण के लाभार्थी इस दौरान चिकित्सा संस्थान पर स्वयं ही आ रहे हैं उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल को बनाये रखकर लाभार्थी का टीकाकरण कार्य किया जा सकता है।
- टीकाकरण के लिए किसी भी तरह का सोशियल मोबिलाइजेशन नहीं करवाया जावे, ना ही किसी भी लाभार्थी को टीकाकरण हेतु बुलाया जावे।
- किसी भी कोल्ड चैन पॉइन्ट से वैक्सीन की डिमाण्ड प्राप्त होने पर जिला वैक्सीन भण्डार से वैक्सीन की नियमित आपूर्ति जारी रखी जावे।

विशिष्ट शासन सचिव एवं
मिशन निदेशक (एन.एच.एम.)
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक-एन.एच.एम.।
3. निजी सहायक, निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. डॉ० प्रदीप हल्दर, एडवाईजर (इम्यू.), भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. डॉ० एस.के. सिकंदर, अतिरिक्त आयुक्त (इम्यू.) भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
6. डॉ० एम.के. अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (यूआईपी), भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
7. डॉ० वीना धवन, संयुक्त आयुक्त, (इम्यू. डिवीजन), भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
8. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक (आर.सी.एच.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
10. जिला कूलक्टर समस्त जिले।
11. परियोजना निदेशक (इम्यू.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
12. राज्य शीत श्रृंखला अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
13. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
14. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।

15. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
16. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राजस्थान
17. डॉ० अनिल अग्रवाल, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, यूनीसेफ जयपुर।
18. डॉ० राकेश विश्वकर्मा, एसआरटीएल-डब्ल्यूएचओ, एनपीएसपी
19. डॉ० अभय बोहरा, एसपीओ-यूएनडीपी।
20. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय



परियोजना निदेशक (इम्यू.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर



प्र. प्रमुख, जयपुर
राजस्थान